

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/एल 1-03/2020-

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० स्वाति सिन्हा, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक सम्प्रति सह-प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के द्वारा दिनांक-01.06.2020 से 24.11.2020 तक की अवधि में अपने तीसरे संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश अवधि को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नरूपेण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक-01.06.2020 से 15.06.2020 (कुल-15 दिन)- उपार्जित अवकाश के रूप में।
 - (ii) दिनांक-16.06.2020 से 24.11.2020 (कुल-162 दिन)- असाधारण अवकाश के रूप में।
2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

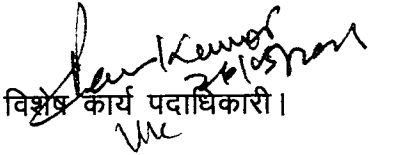
(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/एल 1-03/2020- 543(17)

पटना, दिनांक :-28/05/2025

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डा० स्वाति सिन्हा, सहायक प्राध्यापक सम्प्रति सह-प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।